न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी– पीयुष समारिया
आई.ए.एस.

प्रकरण सं 02/2011 अं.धा.14(4)

1. रामकिशोर पुत्र कन्हैयालाल जाति बैरवा निवासी महेश्वरा कलां तहसील व जिला दौसा

.. प्रार्थी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बनाम्

1. चंदो बेवा नारायण
2. मोहन पुत्र नारायण
3. सोहन पुत्र नारायण
4. गोपी पुत्र नारायण
5. रामकेश पुत्र नारायण
   समस्त जाति जोगी निवासी महेश्वरा खुर्द तहसील दौसा ढाणी महादेवनाथ वाली जिला दौसा
6. भू आवंटन सलाहकार समिति जरिये अध्यक्ष, उप जिला कलक्टर, दौसा
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जी दौसा

..अप्रार्थीगण

उजरात अंतर्गत धारा 14 (4) विरुद्ध आवण्टन आदेश दिनांक 30.06.1989 बहक स्व0 नारायणनाथ

उपस्थितः–1. श्री रामकेश बैरवा, अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री के.पी.शर्मा अप्रार्थी सं0 01 लगायत 05 की ओर से
3. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता।

निर्णय

दिनांकः 16.11.2021

संक्षिप्त वृतांत प्रा0 पत्र अंतर्गत नियम 14 (4) इस प्रकार है कि आवंटन सलाहकार समिति ने दिनांक 30.06.89 को ग्राम महेश्वरा खुर्द के आ0ख0नं0 2515/2 रकबा 0.50 है0 भूमि का आवंटन अप्रार्थी नं0 01 के पति एवं अप्रार्थी संख्या 02 लगायत 05 के पिता स्व0 नारायणनाथ को कर दिया। इसी आवंटन आदेश से व्यथित होकर यह प्रा0 पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रा0 पत्र 14(4) दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को तलब किया गया । अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अधिवक्तागण उभय पक्ष की बहस सुनी गई ।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी पक्ष ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए दलील दी कि प्रश्नगत भूमि का जो आवंटन अप्रार्थी नं0 01 के पति एवं अप्रार्थी संख्या 02 लगायत 05 के पिता नारायणनाथ को किया गया है। इस भूमि पर उज्रदार का कब्जा काफी पुराना अरसा से चला आ रहा है, तथा वर्तमान में भी मौके पर प्रार्थी का कब्जा है। प्रार्थी प्रश्नगत भूमि पर काबिज काश्तकार है। उक्त आराजी को काबिल काश्त बनाने में काफी पैसा खर्च किया। परन्तु नारायणनाथ ने पटवारी हल्का व आवंटन कमेटी के सदस्यों से साज करके चुपचाप से आराजी खसरा नंबर 2515/2 रकबा 0.50 है0 भूमि का दिनांक 30.06.1989 को आवंटन करा लिया। आवंटन कमेटी का आदेश दिनांक 30.6.1989 खिलाफ कानून नियम उपनियम व पत्रावली तथ्यों के प्रतिकूल होने के कारण निरस्त योग्य है। भूमि आवंटन से पूर्व आवंटन संबंधी उदघोषणा भी नहीं हुई, इसलिये भी आवंटन नियम विरूद्ध है। आवंटन के समय भूमि खाली नहीं थी, बल्कि भूमि पर प्रार्थी का कब्जा

था। कानूनन खाली भूमि का ही आवंटन हो सकता था। आवंटन की कार्यवाही मजमें आम में नहीं हुई। आवंटन कमेटी का कोरम भी पूर्ण नहीं था। आवंटी द्वारा आवंटित भूमि पर आज तक काश्त नहीं की, जबकि आवंटन के पश्चात प्रथम वर्ष में आधी तथा द्वितीय वर्ष में पूरी भूमि पर काश्त करना जरूरी था। परन्तु आवंटी ने आज तक भूमि पर काश्त नहीं की, न ही उसका आवंटित भूमि पर कब्जा रहा है। आवंटी नारायणनाथ भूमिहीन भी नहीं था। जबकि प्रार्थी अनुसूचित जाति का गरीब भूमिहीन व्यक्ति है। कानूनन भूमिहीन व्यक्ति को ही भूमि का आवंटन किया जा सकता है। आवंटी द्वारा आवंटन फार्म भी विधिवत रूप से नहीं भरा गया है, ना ही हल्फिया तस्दीक की गई है। इसलिए अपूर्ण फार्म के आधार पर किया गया आवंटन नियम विरूद्ध है। पटवारी हल्का ने नारायणनाथ का पुराना कब्जा होने की रिपोर्ट पेश नहीं की, ना ही उदघोषणा करने बाबत कोई रिपोर्ट की। आवंटी नारायणनाथ ने आवंटन की शर्तों की पालना नही की, जिसका प्रमाण यह है कि भूमि आज भी गैर खातेदारी में दर्ज है, क्योंकि अप्रार्थी संख्या 01 के पति एवं अप्रार्थी संख्या 02 लगायत 05 के पिता स्व0 नारायणनाथ ने कभी भी भूमि पर काश्त नहीं की। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर आवंटन कमेटी द्वारा किया गया आवंटन दिनांक 30.6.1989 बहक नारायणनाथ निरस्त फरमाया जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अप्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा बहस में दलील दी गई कि भूमि आवंटन के 22 वर्ष बाद आवंटन निरस्त करने हेतु प्रा0पत्र पेश किया गया है। आराजी खसरा नंबर 2515/2 रकबा 0.50है0 भूमि अप्रार्थी संख्या 01 के पति एवं अप्रार्थी संख्या 02 लगायत 05 के पिता स्व. नारायणनाथ को दिनांक 30.6.1989 को आवंटित की गई थी। उसी समय आवंटन के बाद भूमि का कब्जा भी दे दिया गया था। उक्त भूमि पर स्व.नारायणनाथ अपने जीवन पर्यन्त काबिज रहकर काश्त की। अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 05 भी उसके जीवन काल से उक्त भूमि पर काबिज काश्त है। अब प्रार्थी अप्रार्थीगण 01 लगा0 05 को उक्त भूमि से महरूब रखना चाहता है। प्रार्थी द्वारा प्रा.पत्र आवंटन निरस्त करने हेतु पेश किया है, वह झूंठा, निराधार एवं बनावटी बातों पर पेश किया गया है। अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 05 जोगी जाति से है, जो अन्य पिछडा वर्ग के लोग है, जिनको प्रार्थी नाजायज परेशान करना चाहता है। स्व.नारायणनाथ को उक्त भूमि का आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 30.06.1989 को पूर्ण कोरम में आवंटन किया गया है। उक्त भूमि पर कोई कब्जा आवंटन से पूर्व व आवंटन के पश्चात प्रार्थी रामकिशोर का नहीं रहा है। उक्त भूमि की विधिवत उदघोषणा जारी की जाकर मजमे आम में आवंटन किया गया था। स्व.नारायणनाथ भूमिहीन काश्तकार था, जिसकी रिपोर्ट आवंटन करने से पूर्व पटवारी हलका द्वारा आवेदन पत्र पर की गई है। इस प्रकार अप्रार्थी का यह कथन कि स्व0 नारायणनाथ भूमिहीन नहीं था, सरासर असत्य है। प्रार्थी का यह कथन कि स्व. नारायणनाथ ने खसरा नंबर 2515 के लिए आवेदन नहीं किया, इससे कोई फर्क नहीं पडता है। यह बात आवंटन सलाहकार समिति की इच्छा पर निर्भर करता है कि वह किस भूमि व कितनी भूमि का आवंटन करें। आवंटन कि वक्त भूमि खाली थी। इस बात की रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा आवेदन में की गई है। प्रार्थी रामकिशोर को यह आवेदन प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है। वह ग्रसित पक्षकार नही है। नियम 14(4) का प्रा0पत्र केवल मात्र वह व्यक्ति ही पेश कर सकता है, जिसने भूमि आवंटन हेतु आवेदन पेश किया हो या उसका नियमन का आवेदन पत्र विचाराधीन हो। प्रार्थी रामकिशोर द्वारा आ.ख.नं. 2515/2 के रकबे के

लिए कोई भूमि आवंटन हेतु आवेदन पत्र पेश नहीं किया। प्रार्थी रामकिशोर ग्रसित व्यक्ति नहीं है। इस सिद्धान्त को माननीय राजस्व मंडल ने अपने न्याय निर्णयों में निर्णित किया है। दृष्टान्त आरआरडी 1981 पेज 63 (बी) एल बी एवं आरआरडी 1987 पेज 419 की प्रति पेश की गई। प्रा0पत्र नियम 14(4) प्रार्थी रामकिशोर ने पेश किया है। नियम 14(4) में प्रसंज्ञान लेने का अधिकार श्रीमानजी को प्राप्त है, किन्तु जहॉ पर नियम 14(4) का प्रा0पत्र किसी व्यक्ति द्वारा पेश किया गया हो तो उस प्रकरण में अपने केस को प्रमाणित करने का दायित्व उस प्रार्थी पर है जो कि आवेदन पत्र पेश करे। प्रार्थी ने माननीय न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई सबूत प्रस्तुत नहीं किया है जबकि यह उसका कर्तव्य था। इसी सिद्धान्त को माननीय राजस्व मंडल ने अपने न्याय निर्णय में निर्णित किया है। दृष्टान्त आरआरडी 1987 पेज 550 एवं आरआरडी 1988 पेज 39 की प्रति पेश की गई। भूमि आवंटन से पूर्व सिवायचक थी। उक्त भूमि पर प्रार्थी रामकिशोर का कोई कब्जा नहीं था। कब्जे के संबंध में आवंटन से पूर्व का कोइ प्रमाण प्रार्थी द्वारा पेश नहीं किया गया है। यदि प्रार्थी का कब्जा भी होता तो उसके आधार पर भी कानून में आवंटन को वर्जित नहीं किया गया है। इसी सिद्धान्त को माननीय राजस्व मंडल ने अपने न्याय निर्णय में निर्णित किया है। दृष्टान्त आरआरडी 1987 पेज 54 एवं आरआरडी 1988 पेज 651, आरआरडी 1989 पेज 468, आरआरडी 2006 पेज 718 की प्रति पेश की गई। आवंटन से पूर्व भूमि की उदघोषणा जारी की गई थी, उसी का आवंटन मजमे आम में विधिवत ढंग से किया गया था। प्रार्थी रामकिशोर का यह कथन असत्य है कि भूमि की उद्घोषणा जारी नहीं हुई है। प्रार्थी रामकिशोर ने यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त प्रा0पत्र अंतर्गत नियम 14(4) का नहीं है बल्कि इस प्रा0पत्र के द्वारा प्रार्थी अपने अधिकार तय कराना चाहता है जो इस प्रा0पत्र के द्वारा तय नहीं किये जा सकते है। इसी सिद्धान्त को माननीय राजस्व मंडल ने अपने न्याय निर्णय में निर्णित किया है। दृष्टान्त आरआरडी 1987 पेज 39 पैरा बी की प्रति पेश की गई। स्व.नारायणनाथ आवंटित भूमि खसरा नंबर 2515 रकबा 0.50है0 पर जीवन पर्यन्त काबिज काश्त रहा व अप्रार्थी न0 1 लगा0 5 भी उसी के जीवनकाल से काबिज चले आ रहे है। प्रार्थी रामकिशोर अपने प्रा0पत्र में यह स्वीकार करता है कि उक्त भूमि में काश्त हो रही है। प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई भी प्रमाण पेश नहीं किया गया कि प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि में काश्त की गई है। प्रा0पत्र अंतर्गत नियम 14 (4) भी आवंटन के लगभग 22 वर्ष बाद पेश किया गया है। उक्त आवंटन अप्रार्थी सं0 1 के पति एवं अप्रार्थी सं0 2 लगा0 5 के पिता स्व0 नारायणनाथ को आवंटन सलाहकर समिति द्वारा किया गया था। भूमि के राजस्व रेकार्ड में अप्रार्थी 01 लगायत 05 के पति/पिता के नाम गैर खातेदारी का इन्द्राज चला आ रहा है। आवंटन नियम 14(4) व (18) में स्पष्ट प्रावधान है कि आवंटन के 3 वर्ष पश्चात आवंटी को स्वतः ही खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाते है। जब खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाते हैं तो उसके पश्चात नियम 14(4) में कानूनन आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता है। इसी सिद्धान्त को माननीय राजस्व मंडल ने अपने न्याय निर्णय में निर्णित किया है। दृष्टान्त आरबीजे 2016 पेज 102, आरबीजे 2009 पेज 201, आरआरडी 2011 पेज 659 आरआरटी 2008(1) पेज 598 की प्रति पेश की गई। अतः प्रा0पत्र 14(4) आवंटन नियम 1970 खारिज फरमाया जावे व आवंटन दिनांक 30.6.1989 को यथावत रखा जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता की बहस में दलील है कि अप्रार्थी नारायणनाथ को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 30.6.1989 को ग्राम महेश्वराखुर्द स्थित आराजी खसरा नंबर 2515/2 रकबा 0.50 है. भूमि का आवंटन किया गया था।

सत्यमेव जयते
Web copy - Not Official

भूमि आवंटन योग्य थी, जिसका नियमानुसार आवंटन किया गया है। आवंटी भूमिहीन है। आवंटन सलाहकार समिति द्वारा कोरम पूर्ण होने पर प्रश्नगत भूमि का आवंटन किया गया था। प्रार्थी का यदि आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त रहा होता तो आवंटन के तत्काल बाद आवंटन निरस्त करने हेतु प्रा0पत्र 14(4) किया जाता। प्रार्थी द्वारा भूमि आवंटन के 22 वर्ष बाद आवंटन निरस्त करने हेतु प्रा0पत्र पेश किया गया है। आवंटी द्वारा आवंटन फार्म भी पूर्ण भरा गया है। आवंटी को हैरान परेशान करने की गरज से प्रार्थी द्वारा प्रा0पत्र अंतर्गत नियम 14(4) आवंटन नियम 1970 पेश किया गया है। अतः प्रा0 पत्र अंतर्गत नियम 14(4) खारिज फरमाया जावें।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि ग्राम महेश्वरा खुर्द के आ0ख0नं0 2515/2 रकबा 0.50 है0 भूमि आवंटन सलाहकार समिति की अनुशंषा पर दिनांक 30.6.1989 को आवंटित की गई थी। पत्रावली में संलग्न नकल जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि आज दिनांक तक भूमि गैर खातेदारी दर्ज रेकार्ड है। उज्रदार द्वारा प्रश्नगत भूमि पर कब्जा काश्त बाबत कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे प्रश्नगत भूमि पर उज्रदार का कब्जा काश्त प्रमाणित होता हो। साथ ही आवंटन के लगभग 22 वर्ष बाद आवंटन निरस्त करने हेतु प्रा.पत्र प्रस्तुत किया गया है। 22 वर्ष बाद आवंटन निरस्त करने बाबत विलंब का कोई कारण प्रा.पत्र में अंकित नहीं किया है। बरवक्त आवंटन कमेटी का कोरम पूर्ण था। उज्रदार का यह कथन असत्य है कि आवंटन सलाहकार समिति का कोरम पूर्ण नहीं था। अतः प्रा0पत्र खारिज योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर उज्रदार द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अंतर्गत नियम 14 (4) खारिज किया जाता है। आवंटन सलाहकार समिति द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 के पति व अप्रार्थी संख्या 02 लगायत 05 के पिता नारायणनाथ को किया गया भूमि आवंटन आदेश दिनांक 30.06.1989 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति सहित वापिस लौटायी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(पीयुष समारिया)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांकः 16.11.2021 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(पीयुष समारिया)
जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official